पत्रांक–01 / कार्य–30–45 / 2026...../
मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
E-mail-cewrdoffice@gmail.com

प्रेषक,

ई0 दीपक कुमार,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी।

मोतिहारी, दिनांक.....2026

विषयः– Preparation of four laning of NH-727 from Chhapwa to Bettiah along with Bettiah Bypass on RHS and Junction at Chhapwa (NH-727 with NH-527D) and grade junctions with rotary involcving NH-727, NH-727AA, and NH-139W के निर्माण हेतु परियोजना के मार्गरेखन में पड़ने वाले तिरहुत नहर प्रमंडल, बेतिया–01 अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं यथा–1. बेलघाटी लिंक चैनल के वि0दू0–2.53 (CH-11+464), 2. पिपरा पकड़ी उपवितरणी के वि0दू0–24.00 (CH-22+764), 3. बानुछापर माईनर के वि0दू0–3.00 (CH-29+167), 4. शेखधौरवा वाटर कोर्स के वि0दू0–3.70 (CH-30+835), 5. देवंतिया माईनर के वि0दू0–2.00 (CH-34+280), 6. विश्वास उपवितरणी के वि0दू0–19.50 (CH-35+565) तथा 7. जोगिया टोला वाटर कोर्स के वि0दू0–4.40 (CH-36+000) पर MNB निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण में सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी का पत्रांक–1335 दिनांक–19.09.2026 तथा अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया का पत्रांक–1648 दिनांक–12.10.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–485 दिनांक–29.08.2024 के आलोक में तकनीकी जाँच समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में तकनीकी जाँच समिति द्वारा लिये गये निर्णय/अनुशंसा के आलोक में आपको विषयांकित स्थल पर प्रथम चरण में MNB निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है:–

1. नहर के प्रस्तावित आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट निर्माण के U/S में 40 मी0 एवं D/S में 40 मी0 की लम्बाई में नहर का सुरक्षात्मक कार्य यथा–पी0सी0सी0 लाईनिंग कार्य इत्यादि कार्यकारी विभाग (कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा) को अपने खर्च से कराना होगा, नहर के मूल स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किये जाने, सेवापथ की Continuity बनाये रखने तथा नहर भाग में आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रस्तावित स्थल पर MNB निर्माण कार्य हेतु मात्र सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान किया जा रहा है। मात्र सैद्धांतिक सहमति के आधार पर संरचना का वास्तविक निर्माण नहीं किया जाय।
3. तद्नुसार प्रस्तावित स्थल के जलीय एवं भूगर्भीय आँकड़ों के आधार पर प्रस्तावित संरचना का तकनीकी रूपांकण एवं आलेख्य अपने संबंधित सक्षम तकनीकी प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त द्वितीय चरण हेतु संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से NOC निर्गत करने का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, बेतिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

कृ0पृ0उ0.....

ज्ञापांक—01 / कार्य—30—45 / 2026..... / मोतिहारी, दिनांक—..... / 2026

प्रतिलिपिः—अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया / कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल—01, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वर्णित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय परिपत्र संख्या—485 दिनांक—29.08.2024 में वर्णित दिशा—निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेश है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि नहर संचालन के दौरान उक्त के आधार पर किसी प्रकार का कार्य कार्यस्थल पर न हो। अन्यथा की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही क्षेत्रीय अभियंताओं की होगी।

ह0 / —
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

ज्ञापांक—01 / कार्य—30—45 / 2026.....3626..... / मोतिहारी, दिनांक—15/10..... / 2026

प्रतिलिपिः—कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय पत्रांक—189 दिनांक—22.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/26
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

15/10/2026